प्रपत्र 'क'

(नियम 3 (1) देखें)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई.डी.सं.

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी, श्री श्री. मिश्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर (ओ.एल.), कार्पोरेट सेन्टर पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सौदामिनी प्लॉट नं.-02, सेक्टर-29

(विभाग / कार्यालय) गुड़गाँव।

1. आवेदक का नाम : रंजित कुमार राय पिता श्री वासुदेव राय
2. पूरा पता : ग्राम+पो०- डेढ़ापार चन्दौली भाया- [illegible] (भो.पुर) जिला- समस्तीपुर पिन- 848115
3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में) जानकारी चाहिये कि मैं दिनांक 24/06/13 को संलग्न आवेदन प्रेषित किया था। उक्त आवेदन के आलोक में क्या कार्रवाई की गई। कृपया सचिव/प्रतिलिपि के माध्यम से जानकारी देने की कृपा की जाय।
4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
5. (1) मैंने .... रुपये (शब्दों में) .... तिथि .... को रसीद सं. .... से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।

अथवा

(2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतानदेश सं. .... दिनांक ...., जो .... पदाधिकारी के पक्ष में .... बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ

अथवा

05AA 932274

(3) मैंने 10/- रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।

(अथवा)

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

स्थान : समस्तीपुर

तिथि : 9/4/14

आवेदक का हस्ताक्षर : रंजित कुमार राय 09.04.14

ई–मेल पता, अगर कोई हो : ranjit-k368@gmail.com

दूरभाष संख्या (कार्यालय)

(आवास) 9939807964

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता रंजित कुमार राय ग्राम+पो०- डेढ़ापार चन्दौली भाया- [illegible] (भो.पुर) जिला- समस्तीपुर पिन- 848115

ANJ_1379

नोट : गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।

जो लागू नहीं है उसे काट दें।

Sir

Attached, Please find the copy of letter dated 14.6.2013 from Shri Ranjit Kumar Rao seeking action taken on the referred letter. It is requested that information sought by the requester

प्रपत्र 'ख'

(नियम 3 (1) देखें)

आवेदन की प्राप्ति–रसीद

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,

.....

(विभाग / कार्यालय)

आई.डी. सं. .....तिथि.....

1. सूचना का अधिकार नियमावली 2006 के नियम 3 के उप नियम (1) के अंतर्गत विहित प्रपत्र 'क' में आवेदन दिनांक ..... श्री/श्रीमती/कुमारी ..... ग्राम .....जिला ..... से प्राप्त किया।
2. सूचना तीस दिनों के अंदर दी जाएगी। अगर यह पाया जाता है कि याचित सूचना देना संभव नहीं है, तो उसका कारण दिखाते हुए अथवा अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए एक पत्र निर्गत किया जाएगा।
3. आवेदक 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह् में अधोहस्ताक्षरी से दिनांक ..... (यहाँ तिथि का उल्लेख करें जो आवेदन प्राप्त करने की तिथि से 30 दिनों के बाद की न हो) को संपर्क करें।
4. अगर आवेदक निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होंगे तो लोक सूचना पदाधिकारी सूचना देने में विलंब के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
5. सूचना और अभिलेख प्राप्त करने के पूर्व अगर कोई राशि, फीस अथवा शुल्क देय है तो आवेदक को जमा करना होगा।

लोक सूचना पदाधिकारी :

विभाग/कार्यालय का नाम :

दूरभाष :

ई–मेल :

बेव साईट :

सेवा में,

श्री बी0 मिश्रा

एसक्यूटिव डायरेक्टर (सी0पी0)

कारपोरेट सेंटर,

पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0

सौदामिनी, प्लॉट नं0–02, सेक्टर – 29

गुरगाँव

विषय :– कनीय अभियंता श्री मिथिलेश कुमार रूद्र, पावर ग्रीड मुजफ्फरपुर के द्वारा धोखाधड़ी करने के संबंध में।

महाशय,

निवेदनपूर्वक कहना है वर्ष 2010–12 के दौरान सहरसा गोपालगंज सेक्शन में मेरे जमीन में पावर सं0 32/02 एवं 32/03 का निर्माण कार्य हुआ था।

उक्त निर्माण कार्य के दौरान श्री मिथिलेश कुमार रूद्र का मेरे यहाँ आना–जाना, खाना–पीना व ठहराव होता था। जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि यदि मेरे द्वारा विभागों को रिपोर्ट किया जायेगा तो आप जमीन एवं फसल/वृक्ष के क्षतिपूर्ति का भुगतान ज्यादा से ज्यादा किया जायेगा तथा उन्होंने मुझे यह भी आश्वासन दिया कि उपरोक्त दोनों टावर की जमीन एवं फसल/वृक्ष की क्षतिपूर्ति का भुगतान लगभग 4 लाख रूपया विभाग से करवा दूँगा जिसके लिए 1 लाख रूपया नाजायज खर्च करना होगा।

मैं उनके बातों पर विश्वास कर दिनांक 13.04.2011 को 1 लाख रूपया नकद सुपुर्द कर दिया।

मेरे फसल/वृक्ष के क्षतिपूर्ति का भुगतान तो विभाग के द्वारा कर दिया गया परन्तु जब मैं बार–बार श्री रूद्र जी से मिलकर जमीन के मुआवजे के संबंध में बात किया

तो वे मुझे धैर्य रखने का आश्वासन दिये और बोले कि विभागीय कारवाई पुरा होने पर जमीन के मुआवजे का भूगतान करा दिया जायेगा।

मैं अंतिम रूप से दिनांक 21.05.2013 को श्री रूद्र जी से मिलकर आग्रह किया कि आज तक मेरे जमीन को मुआवजा नहीं मिला तो मेरा 1 लाख रूपया वापस कर दीजिए जिसपर वे मुझे गॉली–गलौज, हाथापाई करते हुए धमकी दिये कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार करवा दूँगा।

इस प्रकार श्री रूद्र जी के द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी व आमनत में ख्यानत किया गया व सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन किया गया तो मैं मजबुर होकर उन्हें दिनांक 01.06.2013 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजवाया। जिससे मिलने के पश्चात श्री रूद्र जी हमसे टेलीफोन से बातकर मामला को रफा–दफा कराने का प्रयास किया तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मेरे घर पर आकर धमकी दिये कि आरोप वापस ले लो नहीं तो अजांम बुरा होगा और एक धमकी भरा पत्र दिनांक 14.06.2013 के दिनांक में हस्ताक्षरित भेजा गया।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपने स्तर से जाँच पड़ताल कर श्री रूद्र जी, कनीय अभियंता के विरूद्ध कानुनी कारवाई करते हुए मेरा 1 लाख रूपया वापस करवाने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक

1. 01.06.2013 की वकालतन नोटिस
2. दिनांक 14.06.2013 जबावी पत्र।

आपका विश्वासभाजन

रंजीत कुमार राय 24.06.13

पिता–श्री बालेश्वर राय

ग्राम+पो0–डोरापार चन्दौली

भाया–दिघरा, थाना–वैनी ओपी

जिला–समस्तीपुर

मो0–9939807964